

परियोजना/स्कीम की स्थान			
i	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	उत्तर प्रदेश	
ii	जिला	चन्दौली	
iii	वन प्रभाग	काशी वन्य जीव प्रभाग, रामनगर, वाराणसी।	
iv	वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हे० में)	0.072 हे०	
v	वन की कानूनी स्थिति	आरक्षित वन भूमि	
vi	हरियाली का घनत्व	0.4	
vii	प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाय), सिंचाई/जलीय परियोजनाओं के सम्बन्ध में एफ० और एल०, एफ० और एल०-2 मीटर पर परिगणना और एफ०आर०एल-4 मीटर भी संलग्न किये जाय।	किसी भी वृक्ष का पातन नहीं होना है।	
7	viii	भू-क्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी	संवेदनशील नहीं है।
	ix	वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी	आरक्षित वन भूमि के अन्तर्गत
	x	क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव अभयारण्य, जैव मण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कोरीडोर आदि का भाग है। (यदि हाँ, क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणियाँ अनुबन्धित की जाय)।	नहीं
	xi	क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणीजीव की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियाँ नहीं पायी जाती हैं। यदि हाँ तो सम्बन्धित ब्यौरा दें।	नहीं
	xii	क्या कोई सुरक्षित पुरावधीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। यदि हाँ तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से।	नहीं
8		प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भाग-1 कालम-2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है। यदि नहीं तो जाँच किये गये विकल्पों के ब्यौरा के साथ मदवार प्रस्तुत क्षेत्र क्या है।	परियोजना के लिए आरक्षित वन भूमि अपरिहार्य एवं न्यूनतम है।
9		क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है (हाँ/ना) यदि हाँ तो कार्य की अवधि दोषी अधिकारियों पर की गयी कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दें। क्या उल्लंघन सम्बन्धित कार्य अभी भी चल रहे हैं।	नहीं
		प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा	
	i	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभी निर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अक्रमित वन क्षेत्र द्वारा पास के वन से इसकी दूरी भूखण्डों की सूख्या, प्रत्येक भूखण्ड का आकार-	आवश्यक नहीं है।
10	ii	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभी निर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अक्रमित वन क्षेत्र और आस-पास की वन सीमाओं को दर्शाता है।	आवश्यक नहीं है।
	iii	रोपित की जाने वाली प्रजातियाँ सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयन एजेन्सी समय, लागत, ढाँचा आदि।	आवश्यक नहीं है।
		प्रतिपूरक वनीकरण की वचनबद्धता कार्यदायी संस्था द्वारा दी गयी है। भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों का अनुपालन कार्यदायी संस्था द्वारा किया जायेगा।	

11	जिला उप वन संरक्षण की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषता उपयुक्त कालम-7 (XI, XII) 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए संलग्न करें।	संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न है।
	विभाग/जिला प्रोफाइल-	403400 हेक्टेयर
	i जिले का भौगोलिक क्षेत्र-	77400 हेक्टेयर
	ii जिले का वन क्षेत्र-	45/96.525
	iii मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया हुआ कुल वन क्षेत्र	457.679
12	1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण-	2.50 हे०
	iv क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वनभूमि	327.27 हे०
	ख) वनेत्तर भूमि पर	
	वर्ष 2004 तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति-	2.50 हे०
	v क) वन भूमि पर	4.00 हे०
	ख) वनेत्तर भूमि पर	
13	प्रस्ताव पर स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के सम्बन्ध में विशेष सिफारिस	याचक विभाग (ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग) द्वारा 0.072 हे० वन भूमि में ग्राम-बाघी में हरिजन बस्ती रामसकल साहनी के घर से दुर्गा मन्दिर तक सी०सी० रोड का निर्माण कार्य किया जायेगा जिससे ग्रामवासियों को मार्ग सुलभ होगा एवं नक्सली गतिविधि रोकने में मार्ग सहायक सिद्ध होगा। इसके अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं है। अतः इसकी संस्तुति की जाती है।

क्रमांक :
थान : रामनगर।

(मनोज कुमार खरे),
प्रभागीय वनाधिकारी,
काशी वन्य जीव प्रभाग, रामनगर,
वाराणसी।